

श्रम संहिताओं (Labour Codes) पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन

श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम सुधारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

गुरुग्राम, 6 अक्टूबर 2026: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा श्रम संहिताओं (Labour Codes) के संबंध में श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं अन्य संबंधित हितधारकों को जागरूक करने तथा श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारी हितलाभों के प्रति उनकी समझ को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर 2026 को जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार का मुख्य उद्देश्य श्रम क्षेत्र में हो रहे सुधारों, श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों, श्रमिकों के अधिकारों एवं दायित्वों, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा हितलाभों एवं सुविधाओं के संबंध में व्यापक एवं व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम में श्रम कानूनों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों, श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों तथा ईएसआई योजना के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न हितलाभों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम को संवादात्मक स्वरूप प्रदान करते हुए प्रतिभागियों को अपनी जिज्ञासाएँ, समस्याएँ एवं व्यावहारिक अनुभव अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर भी दिया गया।

श्रम सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता आवश्यक : श्री हरिओम प्रकाश

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय निदेशक श्री हरिओम प्रकाश ने श्रम संहिताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रम सुधारों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर एवं प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, श्रम कानूनों को सरल एवं प्रभावी बनाना तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता, विश्वास एवं समन्वय को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं प्रशासन सहित सभी संबंधित पक्षों में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी केवल प्रशासन अथवा नियोक्ताओं तक सीमित न रहकर प्रत्येक पात्र श्रमिक तक सरल एवं सहज भाषा में पहुँचनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जागरूक श्रमिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने दायित्वों को भी बेहतर ढंग से समझ सकता है। वहीं, कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी रखने वाला नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने तथा श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

श्री हरिओम प्रकाश ने कहा कि श्रम क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की सफलता के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद एवं समन्वय आवश्यक है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम इस संवाद को मजबूत करने तथा श्रम कानूनों के प्रति व्यावहारिक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने नियोक्ताओं से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को ईएसआई योजना एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करें तथा कर्मचारियों को उनके अधिकारों एवं उपलब्ध हितलाभों के प्रति जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

बीमाकृत व्यक्तियों को विभिन्न हितलाभों का चेक के माध्यम से भुगतान

सेमिनार के दौरान क्षेत्रीय निदेशक श्री हरिओम प्रकाश द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा हितलाभों का चेक के माध्यम से भुगतान भी किया गया। इनमें मातृत्व हितलाभ, आश्रित हितलाभ एवं बीमारी हितलाभ आदि शामिल रहे।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में आवश्यक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना है। बीमारी, मातृत्व, रोजगारजनित चोट, अपंगता अथवा परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में उपलब्ध विभिन्न हितलाभ बीमाकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सहारा प्रदान करते हैं।

उन्होंने कहा कि बीमाकृत व्यक्तियों को अपने अधिकारों एवं ईएसआई योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि पात्रता के अनुसार वे समय पर संबंधित हितलाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने बीमाकृत व्यक्तियों को ईएसआई योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जागरूक एवं सक्रिय रहने का संदेश दिया।

नए श्रम कोड के विभिन्न प्रावधानों की दी गई विस्तृत जानकारी

श्री सन्नी कुशवाहा, उप निदेशक ने नए श्रम कोड के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं, उनके उद्देश्यों तथा श्रमिकों एवं नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को सरल एवं व्यावहारिक भाषा में समझाया।

उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों की जानकारी श्रमिकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपने अधिकारों, वैधानिक संरक्षण एवं उपलब्ध सुविधाओं की बेहतर समझ प्राप्त होती है। वहीं नियोक्ताओं के लिए श्रम संहिताओं एवं संबंधित प्रावधानों की जानकारी कानूनों के प्रभावी अनुपालन तथा बेहतर औद्योगिक संबंधों के लिए आवश्यक है।

श्री सन्नी कुशवाहा ने श्रम संहिताओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने श्रम कानूनों के व्यावहारिक पक्षों पर भी विस्तार से चर्चा की तथा प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से उत्पन्न विभिन्न विषयों को स्पष्ट किया।

ईएसआई हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी

श्री कमलेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न हितलाभों एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने चिकित्सा हितलाभ, बीमारी हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अस्थायी एवं स्थायी अपंगता हितलाभ, आश्रित हितलाभ सहित ईएसआई योजना के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि ईएसआई योजना के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों के साथ-साथ पात्र आश्रित परिवारजनों को भी विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि विभिन्न हितलाभों के लिए निर्धारित पात्रता, आवश्यक प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों की जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आवश्यकता के समय हितलाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

उन्होंने बीमाकृत व्यक्तियों एवं नियोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ईएसआई योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका या समस्या होने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें तथा अधिकृत माध्यमों से सही जानकारी प्राप्त करें।

50 से अधिक नियोक्ताओं एवं नियोक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

सेमिनार में नियोक्ता संघ के प्रतिनिधियों के साथ गुरुग्राम के 50 से अधिक नियोक्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नियोक्ताओं ने श्रम संहिताओं, ईएसआई योजना तथा बीमाकृत व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं एवं विषयों को अधिकारियों के समक्ष रखा।

इस दौरान नियोक्ताओं द्वारा बीमाकृत व्यक्तियों से संबंधित समस्याओं, ईएसआई योजना के क्रियान्वयन, विभिन्न हितलाभों तथा श्रम कानूनों के अनुपालन से जुड़े विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई। अधिकारियों द्वारा नियोक्ताओं की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा उपलब्ध प्रावधानों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप उनके समाधान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

इस संवादात्मक सत्र के माध्यम से नियोक्ताओं एवं निगम के अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित हुआ। इससे न केवल विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ, बल्कि भविष्य में श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय को भी मजबूती मिली।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता पर जोर

सेमिनार के दौरान श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रावधानों, पात्रता एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रतिभागियों को ईएसआई योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने तथा अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, नियोक्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर न रखा जाए तथा उन्हें ईएसआई योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं एवं हितलाभों की जानकारी भी प्रदान की जाए।

श्रम संहिताओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर : डॉ. स्वीटी यादव

कार्यक्रम में जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव भी उपस्थित रहीं। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रमिकों एवं नियोक्ताओं तक श्रम संहिताओं (Labour Codes), श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी सरल, सहज और प्रभावी भाषा में पहुँचाना तथा उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों, उद्देश्यों एवं उनसे जुड़े अधिकारों तथा दायित्वों के संबंध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न माध्यमों से निरंतर सूचना एवं जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित किया जाना आवश्यक है। इससे श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को श्रम कानूनों की बेहतर समझ विकसित करने तथा संबंधित प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जागरूक श्रमिक अपने अधिकारों एवं दायित्वों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तथा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का समुचित लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार, जागरूक नियोक्ता श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के साथ-साथ अपने प्रतिष्ठानों में बेहतर एवं सकारात्मक कार्य वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

डॉ. स्वीटी यादव ने कहा कि ईएसआईसी द्वारा आयोजित ऐसे जागरूकता कार्यक्रम श्रम संहिताओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, श्रमिक हितों की सुरक्षा तथा श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशासन के बीच संवाद एवं विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सही जानकारी को सरल भाषा में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना ही प्रभावी जनजागरूकता का आधार है।

प्रश्नोत्तर सत्र रहा महत्वपूर्ण

कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने श्रम संहिताओं, श्रमिकों के अधिकारों, ईएसआई योजना, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न हितलाभों तथा नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे।

अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए व्यावहारिक विषयों पर चर्चा के माध्यम से उन्हें संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी प्रदान की गई।

इस संवादात्मक सत्र ने कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाया तथा नियोक्ताओं को ईएसआई योजना एवं श्रम कानूनों से संबंधित अपने प्रश्नों का प्रत्यक्ष रूप से समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला।

आयोजन को सफल बनाने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान

कार्यक्रम को सफल एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करने में श्री दिनेश सैनी, श्री विकास लोचवा, श्री जय प्रकाश यादव, श्री संजय वर्मा, श्री अंकित पन्नु एवं श्रीमती सीमा कपूर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं, प्रतिभागियों के समन्वय, कार्यक्रम संचालन एवं अन्य आवश्यक कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न कराने में सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्रमिक-नियोक्ता-प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने की पहल

सेमिनार का उद्देश्य केवल श्रम संहिताओं की जानकारी प्रदान करना ही नहीं, बल्कि श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशासन के बीच संवाद एवं समन्वय को मजबूत करना भी था। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि श्रम क्षेत्र में प्रभावी सुधार तभी संभव हैं, जब सभी हितधारक अपने अधिकारों एवं दायित्वों को समझते हुए आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ कार्य करें।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी उनके वैधानिक दायित्वों एवं श्रम कानूनों के अनुपालन के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने तथा श्रमिक हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों, नियोक्ता संघ के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही, भविष्य में भी श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के लिए इस प्रकार के जागरूकता, प्रशिक्षण एवं संवादात्मक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने पर बल दिया गया।

सेमिनार ने श्रम संहिताओं, श्रमिकों के अधिकारों, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों, सामाजिक सुरक्षा एवं ईएसआई योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं प्रशासन के बीच बेहतर संवाद एवं समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी भूमिका निभाई।
